| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>अपील संख्या 175/2023(जी.सी.एम.एस. नंबर 2023/391)<br>बअनवान सायर कंवर व अन्य बनाम सुगनाराम इत्यादि | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर.ए.एस.)

**सायरकंवर व अन्य**

**बनाम**

**सुगनाराम इत्यादि**

उपस्थित

1. श्री मनोहरसिंह राठौड़, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री भवानीसिंह भलासरिया, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक व तीन
3. श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो
4. श्री के.एल. जगत्यानी, अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या चार
5. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या पांच

## आदेश

दिनांक 04अप्रैल 2025

अपीलांट्सने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 53/2022 अनवान सायरकंवर व अन्य बनाम सुगनाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 24 जुलाई 2023 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 10अक्टूबर 2023 को प्रस्तुत की गई।

अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

वहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने वहस करते हुए वताया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 511 रकबा 3.2375 हैक्टेयर, खसरा नंबर 470 रकबा 5.1800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 285 रकबा 5.1800 हैक्टेयर ग्राम बूंगड़ी तहसील बाप वक्त सेटलमेंट अपीलार्थीनीगण के दादा सांवतसिंह पुत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>अपील संख्या 175/2023(जी.सी.एम.एस. नंबर 2023/391)<br>बअनवान सायर कंवर व अन्य बनाम सुगनाराम इत्यादि | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

बहादूरसिंह के नाम से उनकी पुश्तैनी भूमियॉ है। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी साबित होने से अपीलार्थीनीगण का वादग्रसत आराजी में जन्म से ही हक-हिस्सा व अधिकार निहित है। अपीलार्थीनीगण के पिता ने अपने नाम राजस्व करेकर्ड का फायदा उठाते हुए वादग्रस्त आराजीयात का बेचान कर दिया, जबकि उन्हें अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं था। वर्तमान में वादीनीगण की ओर से विचारण न्यायालय में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद विचाराधीन है, जिसके विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अपीलार्थीनीगण की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष अपने केस को बखूबी साबित किये जाने के बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई। रेस्पोडेंट्स वर्तमान राजस्व रेकर्ड का फायदा उठाकर वादग्रस्त आराजी का अग्रिम हस्तांतरण हेतु आमादा है। इस कारण प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीनीगण की अपील स्वीकार योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थीनीगण अनपढ महिलाएं है, जिन्हे कानून की जानकारी नहीं होने के कारण अपील अंदर म्याद प्रस्तुत नहीं की जा सकी।अपीलार्थीनीगण द्वारा नकल प्राप्त करने के पश्चात जानकारी से हस्तगत अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 जुलाई 2023 को निरस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>अपील संख्या 175/2023(जी.सी.एम.एस. नंबर 2023/391)<br>बअनवान सायर कंवर व अन्य बनाम सुगनाराम इत्यादि | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

किया जावे एवं वादग्रस्त आराजी के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति का आदेश फरमावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनो का विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात के खातेदारान् द्वारा आपसी सहमति से वादग्रस्त आराजी का विभाजन किया गया तथा विभाजन में उक्त वादग्रस्त आराजीयात खातेदार भूरसिंह के खाते में रखी गई। कानूनन बंटवाड़े से प्राप्त भूमि पुश्तैनी भूमि की श्रेणी में नहीं आती है। खातेदार भूरसिंह को वादग्रस्त आराजी जरिये बंटवाड़ से प्राप्त होने पर उनकी स्वअर्जित संपति थी। खातेदार भूरसिंह द्वारा अलग-अलग समय रेस्पोडेंट्स को वादग्रस्त आराजी पंजीबद्ध बेचाननामा के जरिये बेचान की है तथा वक्त बेचान से ही रेस्पोडेंट्स वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है। यह उल्लेखनीय है कि वादीनीगण द्वारा स्व. सांवतसिंह के खातेदारी के संपूर्ण खसरों के संबंध में वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि वे स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आयी है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>अपील संख्या 175/2023(जी.सी.एम.एस. नंबर 2023/391)<br>बअनवान सायर कंवर व अन्य बनाम सुगनाराम इत्यादि | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणागुण पर उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजीयात सहित अन्य भूमियॉ कुल रकबा 476.01 बीघा भूमि वक्त सेटलमेंट वादीनीगण के दादा सांवतसिंह वल्द बहादुरसिंह के नाम दर्ज रही है। तत्पश्चात सांवतसिंह के वारिसान्/अपीलार्थीनीगण के पिता एवं उसके भाई द्वारा जरिये स्टांप आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर वादग्रस्त आराजीयात का विभाजन किया जाना प्रतीत होता है, जिसकी पालना मे स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 28 पत्रावली पर उपलब्ध है। खातेदार भूरसिंह द्वारा जरिये बंटवाड़ा अपने बंट में आयी भूमि का समय-समय पर अन्य व्यक्तियों/रेस्पो. को पंजीकृत दस्तावेज के आधार बेचान किया जाकर कब्जा उन्हें सुपुर्द किया जाना प्रतीत होता है। रेस्पोडेंट्स वर्तमान में वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा मौके पर काबिज काश्त है। उक्त तथ्यों से साबित है कि वर्तमान में अपीलार्थीनीगण के पास वादग्रस्त आराजीयात का कब्जा काश्त नहीं है।इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु के बिंदु तुलनात्मक रूप से अपीलांट्स के पक्ष में न पाये जाकर रेस्पोडेंट्स के पक्ष में पाये जाते है।

जहां तक अपीलांर्थीनीगण के वादग्रस्त आराजी में पुश्तैनी आधार पर खातेदारी अधिकारों का प्रश्न है, उनका विचारण न्यायालय में जरिये साक्ष्य निर्धारण होना है। ऐसी स्थिति मे कानूनन काबिज व्यक्ति एवं रेकर्डेड खातेदार के विरुद्ध के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्धारक तीनों बिंदुओं पर अपना निष्कर्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>अपील संख्या 175/2023(जी.सी.एम.एस. नंबर 2023/391)<br>बअनवान सायर कंवर व अन्य बनाम सुगनाराम इत्यादि | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

पारित करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अपीलाधीन आदेश मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 जुलाई 2023 यथावत रखा जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर